फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री भेरूलाल खटीक निवासी बस स्टेण्ड के पास, गिलूण्ड रोड़, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा — **प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 08 / 2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से जरिये पत्र क्रमांक :— सू.अ.अ.2005 / 2026 / 617 दिनांक 12.02.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना के संबंध में ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा सम्पर्क एवं सीपी ग्राम पोर्टल पर प्रस्तुत जवाब अनुसार लिए गए उपखण्ड स्तरीय निर्णय अनुसार ग्राम रेलमगरा के राजस्व खसरा संख्या 2148 में नाले का निर्माण करवाया गया है जो पूर्व में जिला स्तरीय जन सुनवाई में दिए निर्देशों एवं मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत प्रकरण में पंचायत द्वारा भेजी पालना रिपोर्ट की अवहेलना है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त खसरा संख्या 2148 में उच्च स्तर के निर्देशों की अवहेलना कर लिए गए उपखण्ड स्तरीय निर्णय की सत्यापित उपलब्ध कराए जिनकी पालना में अवैध नाला निर्मित किया गया। उक्त संबंध में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई गई, बिन्दु संख्या 2 में जिला सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण पर की गई कार्यवाही की सत्यापित सूचना चाही गई जिसके संबंध में प्रार्थी सूचना उपलब्ध कराई गई।, बिन्दु संख्या 3 में माह जून जुलाई एवं अगस्त में जिला स्तरीय जन सुनवाई मेरे पिता श्री मोहन लाल खटीक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रति चाही गई जो प्रार्थी को भिजवायी गयी। बिन्दु संख्या 4 में चामुण्डा माता मन्दिर के पास निर्मित श्री गोपाल विजयवर्गीय की बिल्डिंग का पानी खसरा संख्या 2148 में डालन की कोई वैध अनुमति दी गई है तो सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे। यदि अनुमति नहीं दी गई तो ब्लॉक प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई इसकी सूचना उपलब्ध करावे। जिसकी सूचना प्रार्थी को भिजवायी गयी। बिन्दु संख्या 5 में माननीय जिला प्रमुख महोदय के पत्र क्रमांक 410 दिनांक 08.09.2025 पर की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे। जो प्रार्थी को भिजवायी गयी। बिन्दु संख्या 6 में कृषि भूमि में ग्राम पंचायत खातेदार द्वारा निर्माण करवाए जाने के संबंध में जो भी नियम दिशा निर्देश कानून है उनकी सत्यापित प्रतिलिपि चाही गई यदि नहीं है तो जिस नियम कानून के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा खसरा संख्या 2148 में नाला बनाया गया है उसकी सत्यापित प्रतिलिप	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

चाही गई है। जो प्रार्थी को भिजवाया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.02.2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 617 दिनांक 12.02.2026 से प्राप्त सूचना मेरे द्वारा चाही गई सूचना से भिन्न है।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनाए जरिये पत्रांक 617 दिनांक 12.02.2026 से अपीलार्थी को भिजवायी दी गई है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उसके द्वारा चाही गई समस्त सुचनाओ में से कुछ सूचना ही उसे उपलब्ध करवाई गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को यदि कोई दस्तावेज नहीं मिला हो तो कार्यालय दिवस में प्रार्थी को उपलब्ध रिकॉर्ड का निरीक्षण करवा कर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार नियमानुसार वांछित सूचना अवलोकन कराना चाहिए। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निर्णित कर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को कार्यालय दिवस में प्रार्थी को उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार निरीक्षण करवा कर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)